/

मध्यप्रदेश शासन
लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्र./ एन.एच.एम. / एच.डब्लू.सी. / 2023 / 6445 भोपाल, दिनांक 04 / 09 / 2023

प्रति

1. समस्त संभागीय आयुक्त
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला कलेक्टर
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   जिला मध्यप्रदेश।

विषय : "आयुष्मान भव:" अभियान के प्रदेश में सफल आयोजन दिनांक 17 सितम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक आयोजित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश।

सन्दर्भ: 1. भारत सरकार अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (रा.स्वा.मि.) पत्र क्र. Z.15015 / 40 / 2023-NHM-I 31Aug 2023

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पत्र क्र./ एन.एच.एम. / एच.डब्लू.सी. / 2023 / 16258 भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की शत: प्रतिशत व्याप्ति सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आयुष्मान भव: अभियान को 17 सितम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक संचालित किया जाना है, जिसके अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों का आयोजन किया जाना है –

1. सेवा पखवाडा
2. आयुष्मान आपके द्वार 3.0
3. आयुष्मान मेला
   - A. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य संस्थाओं पर
   - B. चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर
4. आयुष्मान सभा

1. सेवा पखवाडा :

सेवा पखवाडा का आयोजन दिनांक 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2023 तक किया जाना है, इस दौरान निम्न गतिविधि आयोजित की जानी होंगी –

I. **आयुष्मान भव: अभियान** – जन समुदाय को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्रदाय की जाना।

II. **स्वछता अभियान** - समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, जिला चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय में स्वछता हेतु अभियान आयोजित किया जाना। जिसमे ग्राम पंचायत सदस्यों, जन आरोग्य समिति सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी होगी।

III. **रक्तदान शिविर** – अभियान अंतर्गत स्वास्थ्य एवं जन सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से रक्त दान शिविर आयोजित किये जाकर, जानकारी ब्लड बैंक को ई-रक्त कोष पोर्टल में दर्ज की जाना।

IV. **अंगदान अभियान** – जन समुदाय को एकत्रित कर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं जैसे जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर केन्द्रों पर ऑर्गन डोनेशन प्रतिज्ञा में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना एवं सहमती प्राप्त होने पर टोल फ्री न. 1800114770 पर पंजीकृत कराया जाना।

Scanned with OKEN Scanner

2. आयुष्मान आपके द्वार 3.0 :

आयुष्मान आपके द्वार 3.0 का विशेष अभियान 17 सितम्बर से संचालित करते हुए समस्त पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना इस हेतु आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश द्वारा जारी पत्रों एवं पत्र क्र. / सी.ई.ओ. / ए.बी. 2022 / 2177 भोपाल दिनांक 8.8.2022 का पालन करते हुए शेष रहे समस्त हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना है साथ ही स्वयं द्वारा पंजीकरण करते हुए हितग्राही द्वारा आयुष्मान कार्ड निर्माण किया जाना एवं गृह भ्रमण करते हुए हितग्राहियों को कार्ड का वितरण किया जाना |

3. आयुष्मान मेला –

आयुष्मान मेलों का मुख्य उद्देश्य जनसमुदाय का स्वास्थ्य परिक्षण किया जाना जिससे स्वास्थ्य परिक्षण कर, स्वास्थ्य संवर्धन, जांच कर बिमारियों की पहचान की जा सके एवं वेलनेस गतिविधि , स्वस्थ खान-पान के संबंध में जानकारी दी जा सके इस लिए आयुष्मान मेले का आयोजन **हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर- शहरी एवं ग्रामीण (उपस्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों** पर निम्नुसार किया जाना है –

a. **हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर :** प्रदेश के समस्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (शहरी / ग्रामीण) उपस्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक सप्ताह उल्लेखित निर्धारित थीम अनुसार आयोजित किया जाना है –

क्र.	सप्ताह	सप्ताह आधारित मुख्य थीम	सामान्य सेवाएँ
1.	प्रथम	असंचारी रोग स्क्रीनिंग (डायबिटीस, हायपरटेंशन, ओरल, सर्विकल एवं ब्रैस्ट कैंसर स्क्रीनिंग)	- पंजीकरण - ABHA ID एवं आयुष्मान भारत कार्ड का निर्माण - वृहद प्राथमिकी स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आयुष - मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ, वृद्धजन एवं उपशामक स्वास्थ्य सेवाएँ, ओरल केयर, ओप्थाल्मिक / ई.एन.टी. संबंधी देखभाल - परामर्श, स्वास्थ्य संवर्धन सेवाएँ एवं गतिविधिओं का आयोजन | - निशुल्क जांचे, दवाइयों की उपलब्धता एवं वितरण | - टेलीकंसल्टेशन
2.	द्वितीय	संचारी रोगों की स्क्रीनिंग (टी.बी. लेप्रोसी एवं अन्य संचारी रोगों की स्क्रीनिंग)	
3.	तृतीय	मातृत्व, शिशु स्वास्थ्य , पोषण एवं टीकाकरण सम्बंधित गतिविधियों का आयोजन)	
4.	चतुर्थ	ओप्थाल्मिक स्क्रीनिंग एवं आँखों संबंधी देखभाल **(चिन्हित 89 विकासखंड में में सिकिल सेल एनीमिया स्क्रीनिग)**	

b. **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –**

प्रत्येक विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष्मान मेले का आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तिओं तक पहुचने के लिए है जोकि विशेष स्वास्थ्य सेवाओं से बाहर है | विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता करायी जाने हेतु आयुष्मान मेलों का आयोजन किया जाना है साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय भी वर्तमान में समुदाय में हो रही मुख्य बिमारियों को समझने एवं प्रशिक्षण के रूप में समझाने में सक्षम होंगे |

जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय से समन्वय करते हुए उपलब्धता एवं पहुँच के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष्मान मेलों का आयोजन कर सकेंगे एवं मेलों में चिन्हित किये गए व्यक्तिओं को आगामी उपचार हेतु सम्बंधित मेडिकल कॉलेज को रेफर कर सकेंगे |

Scanned with OKEN Scanner

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयोजित होने वाले आयुष्मान मेले में चिकित्सा महाविद्यालय के एम.डी.मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ई.एन.टी. विशेषज्ञ, डेंटल सर्जन, मानसिक रोग चिकित्सक स्किन रोग विशेषज्ञ. आदि विशेषज्ञों को प्रमुखत: से सम्मिलित किया जा सकेगा इस संबंध में जिला सम्बंधित चिकित्सा महाविद्यालय से समन्वय करते हुए स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जावे एवं आने जाने की व्यवस्था मुख्य रूप से मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रहेगी।

4. आयुष्मान सभा का आयोजन :

जनसमुदाय के मध्य विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड, सिकिल सेल , टी.बी. टीकाकरण, आभा आई.डी. की जानकारी को पहुचाये जाने हेतु आयुष्मान सभा का आयोजन 2 अक्टूबर 2023 को प्रत्येक ग्राम पंचायत एवाम्वार्द पंचायत में किया जाना है, जिसके अंतर्गत मुख्य गतिविधि निम्नानुसार रहेगी -

1. आयुष्मान सभा अंतर्गत आयुष्मान कार्ड एवं **ABHA ID** के महत्त्व के संबंध में जागरूकता लाई जाना।
2. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से **NCD** स्क्रीनिंग, सिकिल सेल एनीमिया, टीकाकरण, टी.बी. सेवाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाना।
3. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रदाय की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बंधित मुद्दों एवं चिंताओं को व्यक्त करने के लिए सामाजिक जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाना।
4. जन आरोग्य समिति द्वारा आयुष्मान सभा का आयोजन किया जावे एवं इस दौरान मौके पर आयुष्मान कार्ड एवं ABHA-ID का पंजीकरण एवं निर्माण शत प्रतिशत किया जाना इस हेतु आवश्यक है कि निम्न सूची को प्रदर्शित किया जावे --
   - पीएम-जेएवाई के तहत गांव के पात्र लाभार्थी।
   - पीएम के तहत इलाज कराने वाले लाभार्थी।
   - पीएम-जेएवाई के साथ क्षेत्र में सूचीबद्ध अस्पताल।
   - एनसीडी, एससीडी, आयुष्मान कार्ड, एबीएचए आईडी, और पीएम-जेएवाई लाभार्थियों, टीबी चैंपियनों आदि द्वारा अनुभव साझा करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य वार्ता।

Храм card holders Abha list

आयुष्मान सभा में मुख्यत: जिला पंचायत के अध्यक्ष, जन आरोग्य समिति अध्यक्ष, महिला आरोग्य समीति के सदस्य, VHSNC के सदस्य, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, चिकित्सक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

5. आयुष्मान ग्राम पंचायत / वार्ड आवार्ड –

भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति होने पर जिला द्वारा सर्वश्रेष्ठ आयुष्मान ग्राम पंचायत / वार्ड आवार्ड निम्न बिन्दुओं के आधार पर पुरुष्कृत किया जावेगा

S.No	Indicators	Coverage
1	Ayushman card distribution (above 5 years of age)	100%
2	ABHA ID generation (above 5 years of age)	100%
3	Screening for non-communicable diseases (NCD) (diabetes & hypertension) - 30 years and above	100%
4	Number of Presumptive TB examination in a year (minimum 30 individuals per thousand population)	100%
5	Number of TB patients with treatment outcomes given as success (more than 85%)	100%
6	Screening for sickle cell disease (SCD) and Card Distribution (0-40 years) - as applicable	100%

Scanned with OKEN Scanner

आयुष्मान भव: शुभारम्भ -

- भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भव: अभियान का शुभारम्भ माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2023 को दोपहर 12:00 बजे किया जावेगा एवं मध्यप्रदेश में आयुष्मान भव: अभियान शुभारम्भ महामहिम राज्यपाल महोदय जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दोपहर 1:00 बजे से किया जावेगा। शुभारम्भ में जिला, विकासखंड एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के व्यक्ति जिसमे वर्चुअल रूप से जुड़ सकेंगे। आयोजित कार्यक्रम की लिंक पृथक रूप से शेयर की जावेगी (संलग्नक- आयुष्मान भव: शुभारम्भ एजेंडा)
- जिला स्तरीय आयुष्मान भव: अभियान के सफल आयोजन हेतु शुभारम्भ दिनांक 13 सितम्बर 2023 को जन प्रतिनिधि सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, पद्मश्री पुरुस्कृत व्यक्ति, सामाजित व्यक्तिओं के साथ साथ जिला कलेक्टर, प्रमुख विभाग चिकित्सा शिक्षा, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास आयुष, आदिम जाति कल्याण विभाग, आई.एम.ए., आई.ए.पी., फोग्सी, नर्सिंग होम्स एसोसियेशन, डेंटल कॉलेज, लायंस क्लब अन्य सहयोगी विभाग / NGOs लोकल मिडिया के साथ आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। शुभारम्भ कार्यक्रम में जिले के निश्चय मित्रों को पुरुस्कृत करते हुए अंग दान प्रतिज्ञा का आयोजन भी किया जाना होगा।
- विकासखंड स्तरीय शुभारम्भ में (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / सिविल अस्पताल / हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) पर 13 सितम्बर को आयोजित करते हुए मुखत: मेयर, नगर निगम अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव एवं पंचायत सदस्यों को सम्मिलित करते हुए किया जावे एवं सुनिश्चित किया जावे कि इस शुभारम्भ में अनुमानित 100 लाभार्थी इस शुभारम्भ में उपस्थित रहें।

आयुष्मान भव: रिपोर्टिंग –

आयुष्मान भव: अभियान अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की रिपोर्टिंग भारत सरकार के विभिन्न पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार सुनिश्चित की जानी है

क्र.	गतिविधि	रिपोर्टिंग
1	हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयोजित मेले की रिपोर्टिंग	AB-HWC Portal
2	सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाओं पर आयोजित मेले की रिपोर्टिंग	AYUSHMAN BHAVAH Portal / Google Reporting
3	आयुष्मान सभा	AB-HWC Portal
4	सिकिल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग	National Sickle Cell Portal
5	रक्तदान	E-Rakt Kosh Portal

उल्लेखित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयुष्मान भव: अभियान का सफल आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नक- भारत सरकार द्वारा जारी Operational Guideline Ayushman Bhavah.

आयुष्मान शुभारम्भ एजेंडा (केंद्र एवं राज्य स्तर)

11/9/23

(मोहम्मद सुलेमान)
अपर मुख्य सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

क्र./ एन.एच.एम. / एच.डब्लू.सी. / 2023 / 6445 भोपाल, दिनांक 04 /09 / 2023

प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ :

1. निज सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
2. निज सचिव मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
5. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन आयुष मंत्रालय मध्यप्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन महिला बाल विकास मध्यप्रदेश।
7. प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश।
8. सचिव सहस्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश।
9. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा संचालनालय मध्यप्रदेश।
10. संचालक, अस्पताल प्रशासन संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश।
11. एम.डी.एम.पी.पी.एच.एस.सी.एल. मध्यप्रदेश।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश।
13. संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल मध्यप्रदेश।
14. संचालक, वित्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल मध्यप्रदेश।
15. मुख्य महाप्रबंधक (तकनिकी) एम.पी.पी.एच.एस.सी.एल. मध्यप्रदेश।
16. सम्बंधित राज्य कार्यक्रम अधिकारी / उपसंचालक अस्पताल प्रशासन, टी.बी., लेप्रोसी, ब्लड सेल, एन.सी.डी.- I / II, क्वालिटी सेल, आशा, आयुष्मान भारत, आर.बी.एस.के., अंधत्व एवं दृष्टीहीनता, सिकिल सेल सेल एनीमिया, टीकाकरण, शहरी स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन / संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ / आयुष्मान निरामयम मध्यप्रदेश।
17. डेवेलपमेंट पार्टनर - जपाईगो, पाथ पी.एस.आई. मध्यप्रदेश।
18. समस्त, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ संभाग मध्यप्रदेश।
19. सम्बंधित............. जिला कार्यक्रम अधिकारी मध्यप्रदेश।
20. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, एम.एंड.ई, सी.पी.एच.सी. ए.पी.एम.।

अपर मुख्य सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner